[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड]

*****

अधिसूचना सं. **65**/2019- सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक **13th** सितम्बर, 2019

सा.का.नि. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (अअ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 जिसे सा.का.नि. 193(अ), 02 अप्रैल, 1997 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, हरियाणा राज्य से संबंधित क्रम सं. 5 के समक्ष, कॉलम (3) में मद **(ix)** के बाद और इससे संबंधित कॉलम (3) और (4) की प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

(3)	(4)
(ix) गाँव बरही, गन्नौर, जिला सोनीपत	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई

[फाइल संख्या 434/20/2017-कस्टम **IV**]

जुबैर रियाज़

(जुबेर रियाज़)

निदेशक (सीमाशुल्क)

नोटः- प्रधान अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 को सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 58/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 08 अगस्त, 2019, सा.का.नि. 622(अ.), दिनांक 08 अगस्त, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है।